



118

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

R 973-I/13

राजस्व रिवीजन कमांक

/ 2013

आवेदक—

विनोद कुमार भाटिया,
पिता चमनलाल भाटिया
निवासी 439 हाउबाग रोड, जार्ज
डिसल्वा वार्ड,
गोरखपुर-जबलपुर

//विरुद्ध//

प्रत्यर्थीगण—

1. रमेश सिंह आत्मज स्व.रधुवीर सिंह
2. अनिलद्वि सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
3. राजेन्द्र सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
4. अजयपाल सिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह
5. संतसिंह आत्मज स्व.ओंकारसिंह

सभी निवासी मालगुजारी बखरी
पंचायती अखाडे के पास, गोरखपुर,
जबलपुर, म0प्र0

6. म.प्र.शासन

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

1959

आवेदक माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग
गोरखपुर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक /11/ बी-121/
2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2012 से व्यक्ति
होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत
करता हैः—

XX.Ix(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ९७३-एक/२०१३ निगरानी

जिला जबलपुर

वार्ता तथा दस्तावेज़	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२०.६.१६	<p>प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ११/२०१०-११ बी १२१ अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक २४-१२-१२ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक/ एवं अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>३/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जिला जबलपुर के अंतरिम आदेश दिनांक २४-१२-१२ के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर के समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण क्रमांक ११/२०१०-११ बी १२१ में अपीलांट की ओर से म०प्र०भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ४९(३) का आवेदन दिनांक २२-६-१२ को प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आवेदन के जवाब हेतु दिनांक २२-११-१२ से आगामी पेशी ३-१२-१२ नियत की। इस तिथि को रिस्पोड की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर आगामी तिथि २४-१२-१२ नियत की। दिनांक २४-१२-१२ को अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित हुये, किन्तु रिस्पोड के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुये। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी ने उनके विरुद्ध एकपक्षीय</p>	

1/

OM

प्र०क०९७३-एक/२०१३ निगरानी

कार्यवाही करते हुये अपीलांट का धारा ४९(३) का आवेदन स्वीकार कर लिया एंव पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष निगरानी करने पर निगरानी श्रवण करने के अधिकार न होने से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

४/ एकपक्षीय आदेश दिनांक २४-१२-१२ के विरुद्ध आवेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष २९-१२-१२ को संहिता की धारा ३५(३) का आवेदन देकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने की मांग रखी है आगामी पेशी १५-१-१३ को अनुविभागीय अधिकारी ने आर्डरशीट में लिखा है कि -

“ संहिता की धारा ३५(३) तथा धारा ४९ (३) के तहत जवाब पेश किया जिनकी प्रतियां उभय पक्षों के अधिवक्ता को प्रदान की गई। प्रकरण जवाब व तर्क हेतु। ”

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा ३५(३) के आवेदन पर तथा धारा ४९ (३) के आवेदन पर सुनवाई की जा रही है इन पर अंतिम निर्णय होना है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ होकर प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित है।

५/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।



सदृश्य